2 दैनिक जागरण पटना, 25 अगस्त 2018

रेरा रजिस्ट्रेशन के बगैर फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं

बिल्डरों पर नकेल, खरीददारों के हितों पर सरकार का ध्यान

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले बिल्डरों के फ्लैट की रजिस्ट्री अब नहीं होगी। रजिस्ट्री के समय बिल्डरों को निबंधन कार्यालय में अपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर प्रस्तुत करना होगा, तभी फ्लैट की रजिस्ट्री की अनुमति मिलेगी। सरकार ने भू-संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम-2016 को सुनिश्चित करने बिहार रजिस्ट्री (संशोधन) नियमावली-2018 के तहत यह अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के उक्त प्रस्ताव समेत अन्य 32 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी। सरकार के इस निर्णय के बाद अब राज्य में बिल्डर, डेवलपर, प्रोपर्टी डीलर बगैर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर के प्लॉट, फ्लैट, दुकान, ऑफिस नहीं बेच सकेंगे। खरीददारों के हितों के ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने यह प्रावधान सुनिश्चित किया है। गौरतलब है कि रेरा के चेयरमैन अफजल अमानुल्लाह ने निबंधन विभाग को पत्र लिखकर भू-संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम-2016 की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने बताया कि था कि रजिस्ट्री नियमावली में यह प्रावधान नहीं होने की वजह से बिल्डर मनमानी कर रहे हैं।

(संबंधित खबर पेज-2)

कैबिनेट का फैसला

- बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुल 32 प्रस्तावों को दी मंजूरी
- बिल्डरों के लिए रेरा रजिस्ट्रेशन हो गया अनिवार्य, नहीं चलेगी मनमानी

पार्किंग को ले दुकानदारों को नोटिस

राजधानी में तीन दर्जन ऐसे दुकानदारों को चिह्नित किया गया है, जो मुख्य सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग कराते हैं। डीएम ने कहा है कि वे शीघ्र पार्किंग की व्यवस्था कर लें। विस्तृत पेज-4